उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-54/2020/524/92-2-20-166जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक 20 फरवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 29.04.2019 में विकास खण्ड-भटनी, रामपुर कारखाना में इन्टरलांकिग , सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 द्वारा वांछित अभिलेख उन्हें विलम्ब से उपलबध कराये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बेदी लाल, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति सहायक अभियंता के विरूद्ध शासन के पत्र सं0-1308/92-2-19-166जांच/2015 दि0 24.06.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका बचाव उत्तर श्री बेदी लाल के पत्र दिनांक 12-08-2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री बेदी लाल के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण, उनके बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति शासनादेश दि0 14.07.2009 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत सहिष्णुता सीमा (02 प्रतिशत) से कम पाये जाने व उक्त शासकीय क्षति भी संबंधित ठेकेदारों द्वारा राजकोष में जमा कर दिये जाने के दृष्टिगत श्री बेदी लाल पर अधिरोपित आरोप स्थापित होना नही पाया गया है। अतएव शासन के आदेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा श्री बेदी लाल, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-54/2020/524(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बेदी लाल, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-देवरिया सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 , उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in